मै0 बजाज हिन्दुस्थान लि0, ग्राम–मकसूदापुर, तहसील पुवायां जिला शाहजहांपुर द्वारा 90 मेगावाट क्षमता के विद्युत उत्पादन हेतु कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किये जाने के लिये जिला शाहजहॉपुर के तहसील पुवायां स्थित सभागार में दिनांक 26.05.10 को सम्पन्न करायी गयी पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सम्बन्धी लोक सुनवाई का कार्यवृत्ति–

उपरोक्त सन्दर्भित उद्योग द्वारा 90 मेगावाट पावर जनरेशन हेतु कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किये जाने हेतु प्रस्ताव की प्राप्ति के उपरांत राज्य बोर्ड को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.06 के अर्न्तगत पर्यावरणीय क्लीयरेन्स हेतु लोक सुनवाई का प्राविधान है, तद्नुसार उद्योग की पर्यावरणीय प्रमाण मूल्यांकन आख्या एक निष्पादन संक्षेप की प्रति जिलाधिकारी शाहजहॉपुर, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र शाहजहॉपुर व अतिरिक्त मुख्य अधिकारी जिला पंचायत शाहजहॉपुर को प्राप्त करा दी गयी है। लोक सुनवाई की आम सूचना 30 दिनो की नोटिस अवधि को ध्यान में रखते हुये दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 24.04.10 को प्रकाशित करायी गयी। उक्त उद्योग की पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण के लिये जिला शाहजहॉपुर के तहसील पुवायां स्थित सभागार में दिनांक 26.05.10 को उपरान्ह 2.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है

जिलाधिकारी शाहजहॉपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न करायी गयी। लोक सुनवाई समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी शाहजहॉपुर द्वारा की गयी विवरण निम्नवत् है–

1. जिलाधिकारी शाहजहॉपुर
2. सहायक पर्यावरण अभियंता कृते क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली।

सर्वप्रथम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली के उपस्थिति अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी जो इस समिति के अध्यक्ष का स्वागत करते हुये बैठक प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई का कार्य प्रारम्भ की गयी एवम् उद्योग के अधिकृत सलाहकार के रूप में डा0 मनोज गर्ग द्वारा प्रस्तावित उद्योग के विस्तृत उत्पादन तकनीकी स्तर प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पर प्रकाश डालने हेतु अनुरोध किया गया। डॉ0 मनोज गर्ग द्वारा प्रस्तावित उद्योग का विवरण निम्नानुसार है–

प्रस्तावित उद्योग स्थल सम्बन्धी विवरण निम्नवत् है–

1. प्रस्तावित उद्योग मै0 बजाज हिन्दुस्थान लिमटेड, ग्राम–मकसूदापुर, तहसील पुवायां जिला शाहजहांपुर द्वारा कोयले पर आधारित पावर प्लांट की स्थापना पूर्व से स्थापित उद्योग मै0 बजाज हिन्दुस्थान लि0, चीनी मिल परिसर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित उद्योग द्वारा लगभग 51 एकड भूमि की आवश्यकता पडेगी, उक्त के अनुसार ग्रीनवेल्ट हेतु 25 एकड व ऐश पौण्ड हेतु 10 एकड एवं प्लांट मशीनरी हेतु 16 एकड भूमि प्रस्तावित है।

तकनीकी आख्या–

1. प्रस्तावित उद्योग द्वारा 90 मेगावाट/दिन क्षमता का कोल आधारित पावर प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल में कोयला की सप्लाई उडिसा, बिहार, सिगंरौली म0प्र0 से किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में कोयला लगभग 1600 टन/दिन की दर से प्रयोग की जायेगी।

3. उद्योग द्वारा जलापूर्ति निजी नलकूप के माध्यम से भूमिगत जल श्रोत से किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित उद्योग द्वारा लगभग 6984 किली/दिन की दर से जल का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग द्वारा 16200 किली क्षमता का एक स्टोरेज टैक (दो दिन) क्षमता का स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित उद्योग द्वारा जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं औद्योगिक प्रयोजन जैसे वायलर व कूलिंग हेतु किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू उत्प्रवाह के शुद्विकरण हेतु प्रस्तावित उद्योग द्वारा सैप्टिक टैक/सोक पिट के माध्यम से निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है तथा औद्योगिक प्रयोजन में कूलिंग से जनित उत्प्रवाह को रिसाइकिल्ड कर पुनः प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग द्वारा किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह निस्तारित नही किया जाना प्रस्तावित है।

4. उद्योग द्वारा 45 मेगावाट के दो अदद टरवाईन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

5. उद्योग में वायु प्रदूषण का श्रोत मुख्यतया उद्योग में स्थापित किये जाने वाला 190 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता के दो वायलेरो से होने वाले फ्लू गैस उत्सर्जन से है। वायलर में ईधन के रूप में गन्ना पेराई सत्र में बैगास एवं अन्य समय में कोयला का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। फ्लू गैसो का उत्सर्जन भूतल से लगभग 110 मीटर ऊँची आर0सी0सी0 द्वारा निर्मित चिमनी से किया जाना प्रस्तावित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर स्थापित कर प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु एक आधुनिक इकाई है। उद्योग में स्थापित किये जाने वाला वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था सैद्वान्तिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है।

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था (ई0एस0पी0) द्वारा जनित (राख) फ्लाई ऐश जो लगभग 620 टन/दिन होना प्रस्तावित है को 10 एकड में प्रस्तावित ऐश पौण्ड में स्टोरेज किया जाना प्रस्तावित है एवं बन्द टैकर के माध्यम से एकत्र कर निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। फ्लाई ऐश को सीमेन्ट बनाने वाली इकाईयो को बेच दिया जाना अथवा ईट बनाने के क्रार्य में प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है।

7. उद्योग में वायलरो से जनित वाटम ऐश जो लगभग 20 टन/दिन होना प्रस्तावित है। जिसे सडक बनाने तथा गड्ढो में भरने के कार्य में किया जाना प्रस्तावित है।

8. कच्चे माल के रूप में कोयला के हथालन में विशेष रूप कोयला पर जल का छिडकाव स्प्रिकलरो द्वारा किया जाना प्रस्तावित है तथा कोल क्रशिंग प्लांट में बैग फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

9. प्रस्तावित उद्योग द्वारा वर्षा जल से भूमिगत जल को रिचार्ज करने हेतु रेन वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

10. उद्योग द्वारा ग्रीन बैल्ट की स्थापना तथा अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में उपस्थित नागरिको का स्वागत किया गया तथा विचार–विमर्श के उपरान्त परियोजना के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओ पर जानकारी चाही गयी एवं सुझाव दिये गये–

1. श्री हरदीप सिंह ग्राम मकसूदापुर ज़िला शाहजहॉपुर द्वारा पूॅछा गया कि हमारे क्षेत्र में केवल तीन दिन ही बिजली मिलती है क्या प्रस्तावित पावर प्लान्ट लगने से बिजली की सप्लाई क्षेत्र में ज्यादा दी जायेगी ?

   जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित उद्योग द्वारा जो भी बिजली का उत्पादन किया जायेगा उसे ग्रिड से जोड दिया जायेगा और क्षेत्र में बिजली सप्लाई वितरण शासन द्वारा निर्धारित नीतीयो के तहत किया जाता है।

2. श्री अनुपशंकर शुक्ला ग्राम घुघंचाई – पूरनपुर जिला पीलीभीत द्वारा जानकारी चाही गयी कि प्रस्तावित पावर प्लान्ट लगाये जाने हेतु क्या किसी भी प्रकार की कानूनी अडचन आयेगी ?
   जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शासन–प्रशासन की मन्शा क्षेत्र के विकास करने में है न कि कानूनी अडचन डालने में अतः प्रस्तावित पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु किसी भी प्रकार की कानूनी अडचन नही आयेगी।

3. श्री अर्जुन सिंह ग्राम चिकटिया – मकसूदापुर जिला शाहजहॉपुर द्वारा जानकारीचाही गयी कि मिल से निकलने वाला प्रेसमड किसानो को क्यो नही दिया जाता है ?

   उद्योग द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि डॉ0 ए0बी0 सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि मिल से निकलने वाला प्रेसमड किसानो को इसलिये नही दिया जाता है क्यो कि आसवानी उद्योगो द्वारा प्रेसमड का प्रयोग बायो कम्पोस्ट खाद बनाने में किया जाता है, इसलिये प्रेसमड की सप्लाई आसवानी इकाई को दे दिया जाता है तथा डॉ0 ए0बी0 सिंह द्वारा यह भी बताया कि प्रेसमड का सीधा उपयोग किसानो को उतना लाभकारी नही होगा जितना कि बायो कम्पोस्ट खाद बनने के बाद प्रयोग किये जाने पर होगा।

4. श्री अर्जुन सिंह ग्राम चिकटिया – मकसूदापुर जिला शाहजहॉपुर द्वारा जानकारी चाही गयी कि प्रस्तावित पावर प्लान्ट से निकलने वाला धुऑ/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में क्या व्यवस्था की जायेगी ?

   उद्योग द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि डॉ0 मनोज गर्ग द्वारा अवगत कराया गया कि चिमनी से निकलने वाला धुॅआ/ फ्लू गैसो का उत्सर्जन भूतल से लगभग 110 मीटर ऊॅची आर0सी0सी0 द्वारा निर्मित चिमनी से किया जाना प्रस्तावित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर स्थापित कर प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु एक आधुनिक इकाई है।

5. श्री मन्जीत सिंह ग्राम बण्डा जिला शाहजहॉपुर द्वारा जानकारी चाही गयी कि चीनी मिल से जनित राख का निस्तारण किस प्रकार किया जाता हैं ?

उद्योग के इकाई प्रबन्धक श्री आलोक कुमार सक्सेना अवगत कराया गया कि उद्योग से जनित राख का निस्तारण निचली भूमि के भराव हेतु प्रयोग किया जाता है साथ ही स्थानीय जनता द्वारा भी भू–भराव हेतु स्वेछा से ले जाया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान समिति के सदस्यो एवं विशिष्ट नागरिको द्वारा मै0 बजाज हिन्दुस्थान लि0, ग्राम–मकसूदापुर, तहसील पुवायां जिला शाहजहांपुर द्वारा कायले पर आधारित पावर प्लांट की स्थापना पूर्व से स्थापित उद्योग मै0 बजाज हिन्दुस्थान लि0 चीनी मिल परिसर में स्थापित किये जाने के संबंध में लोक सुनवाई में उपस्थित सदस्यो, विशिष्ट नागरिको एवं अध्यक्ष महोदय को उद्योग स्थापना के संबंध में को ई आपत्ति नही है। अन्त में लोक सुनवाई में उपस्थित जन समूह द्वारा उद्योग की स्थापना सम्बन्धित प्रस्ताव को जनहित में जनमत से पारित किया गया, जिसे लोक सुनवाई हेतु गठित द्वीसदस्यीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

26/05/10

(जीतेन्द्र लाल)
सहा0पर्या0अभियंता
कृते क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बरेली ।

(जीतेन्द्र लाल)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्र बोर्ड
बरेली

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
शाहजहॉपुर।
जिलाधिकारी
शाहजहाँपुर